संख्या– — / II(2)/2020–04(53)/2020

प्रेषक,

उदयराज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 देहरादून : **दिनांक** 8 सितम्बर, 2020

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–349/2017 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर रीवर ट्रेनिंग मद से वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपद हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक में रतमऊ नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम कोटा मुरादनगर की बाढ़ सुरक्षा योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1314/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (राज्य सैक्टर), दिनांक 01.06.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक में रतमऊ नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम कोटा मुरादनगर की बाढ़ सुरक्षा योजना, जिसकी कुल लागत रू0 48.18 लाख (रू0 अड़तालीस लाख अठारह हजार मात्र) है, को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल लागत रू0 48.18 लाख (रू0 अड़तालीस लाख अठारह हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 19.27 लाख (रू0 उन्नीस लाख सत्ताइस हजार) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः 02

7. उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
8. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 229/9(150)–2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–06–राज्य सैक्टर से पोषित रिवर ट्रेनिंग –00–53 वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–361/XXVII(2)/2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(उदयराज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 1458 (1)/।।(2)/2020–04(53)/2020, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
4– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बहादराबाद, हरिद्वार।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव